न्यायालय–अमित कुमार शुक्ला, अवर न्यायाधीश (प्रथम),नरकटियागंज

स्वत्व वाद संख्या–72/2019

CIS NO- 72/2019

कृष्णा केजरीवाल.....वादी

बनाम

भरत प्रसाद केजरीवाल एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

17.12.2020 उभय पक्ष की पैरवी है। वादी की ओर से एक आवेदन दिनांक 09.11.2020 अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 व्यवहार प्रकिया संहिता के तहत दाखिल किया गया है, जिस पर प्रतिवादीगण की ओर से ''नो आब्जेक्शन'' लिखा गया है।

वादी का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी संख्या–7 से 9 का स्थाई पता वादपत्र में दिया गया था, लेकिन प्रतिवादी संख्या–15 से 18 के उपस्थित होने के पश्चात वादी को जानकारी हुई कि प्रतिवादी संख्या–7 से 9 नेपाल में रहते हैं। उनके द्वारा प्रतिवादी संख्या–15 से 18 का वर्तमान पता भी दिया गया है। प्रस्तुत वाद प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु चल रहा है। ऐसी स्थिति में प्रस्तावित संशोधन औपचारिक प्रकृति का है तथा इससे वाद की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं आयेगा।

अभिलेख परिशीलन से विदित होता है कि वादी प्रतिवादी संख्या–7 से 9 का जो स्थाई पता वादपत्र में दिया था, उसमें संशोधन करना चाहता है। वाद अभी प्रारंभिक अवस्था में है। प्रस्तावित संशोधन औपचारिक प्रकृति का है तथा इससे वाद की प्रकृति में बदलाव होता प्रतीत नहीं होता है। अतः न्याय हित में वादी का आवेदन स्वीकृत करते हुए वादी के विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह विधिक समय सीमा के तहत वादपत्र में अपेक्षित संशोधन करें। वास्ते अग्रिम कार्रवाई दिनांक 15.01.2021

अवर न्यायाधीश(प्रथम)

पश्चात

प्रतिवादी संख्या–10 से 12 की ओर से एक आवेदन दाखिल कर कथन किया गया है कि वह प्रस्तुत वाद में दिनांक 28.09.2019 को उपस्थित हुआ था, किन्तु कुछ कागजात उपलब्ध नहीं होने के कारण उनके द्वारा बयान तहरीरी समय से दाखिल नहीं किया जा सका। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा दिनांक 29.09.2020 को बयान तहरीरी दाखिल

न्यायालय–अमित कुमार शुक्ला, अवर न्यायाधीश (प्रथम),नरकटियागंज

स्वत्व वाद संख्या–72/2019

CIS NO- 72/2019

कृष्णा केजरीवाल.....वादी

बनाम

भरत प्रसाद केजरीवाल एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

किया गया। अतः बयान तहरीरी दाखिल करने में हुए विलंब को माफ करते हुए दाखिल बयान तहरीरी को स्वीकार किया जाय।

अभिलेख परिशीलन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी संख्या–10 से 12 दिनांक 20.09.2019 को उपस्थित हुए हैं, किन्तु उनकी ओर से विधिक समय सीमा के तहत बयान तहरीरी दाखिल नहीं किया जा सका। चूँकि अब प्रतिवादी संख्या–10 से 12 प्रस्तुत वाद में संघर्ष करना चाहते हैं। यद्यपि प्रस्तुत आवेदन प्रतिवादीगण द्वारा विलंब से दाखिल किया गया है, फिर भी न्याय हित में प्रतिवादी संख्या 10 से 12 की ओर से दाखिल बयान तहरीरी 500/–रू. हर्जे पर स्वीकृत किया जाता है। वास्ते अग्रिम कार्रवाई दिनांक 15.01.2021

अवर न्यायाधीश(प्रथम)